# अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

## अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना

अपने या अपनी साथी के साथ नये घर में जाना या घर ख़रीदना बड़ा ही सुखद अनुभव हो सकता है। परंतु बहुत कम जोड़ियाँ यह समझती है कि कानूनी दृष्टिकोण से इस काम में कितना जोखिम भी हो सकता है। हो सकता है कि यह बात बहुत ही दकियानूसी लगे, परंतु बिना विवाह किए साथ रहने वाली जोड़ी को कानून से वह संरक्षण नहीं मिलता जो विवाहित जोड़ी या सिविल पार्टनरटों को मिलता है। कॉमन ला विवाह कोई नहीं होता। दु:ख की बात यह है कि जब तक लोगों यह बात समझ में आती है तब तक बहुत देरी हो गई होती है – सम्बंध टूट जाता है या दो में से किसी की मृत्यु हो जाती है, और बहुमूल्य अधिकार खो जाते हैं।

इस पर्चे में बताया गया है कि यदि आपका विवाह नहीं हुआ या आप सिविल पार्टनर नहीं है; तो आपको किन बातों के बारे में विचार करना चाहिए।

ज्योंहि आप इकट्ठे रहने का फ़ैसला करें, आपको इन बातों के बारे में सलाह ले लेनी चाहिए –

- आपके क्या अधिकार हैं;
- सभी हालतों में आपकी और आपके साथी की स्थिति क्या है;
- अपनी स्थिति को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

## सोलिस्टर ढूँढना

यदि पहले से आपके पास कोई सोलिस्टर नहीं है, तो आप हमारी वेबसाईट www.lawsociety.org.uk/findasolicitor पर जाकर Family वाला भाग पढ़ें और अपने इलाके के सोलिस्टरों के बारे में जानकारी लें। आप लॉ सोसाइटी को नम्बर 0870 606 2555 पर फ़ोन कर सकते हैं।

## सोलिस्टर को क्या जानने की ज़रूरत होगी

जब आप सोलिस्टर का चुनाव कर लेंगे, तो आपकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। वह कई प्रकार की जानकारी आपसे माँग सकता है, जिसमें ये बातें शामिल हो सकती हैं –

- आपके सम्बंध की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी;
- आपकी और आपके साथी की पूरी सम्पत्ति की लिस्ट;
- यदि आपका घर है तो उसका मूल्य और उसका मालिक कौन है;
- घर की कीमत चुकाने (मरम्मत आदि के काम में भी) आपने और आपके साथी ने क्या योगदान दिया है;
- यदि कोई अन्य सम्पत्ति है उसका मूल्य;
- आपकी और आपके साथी की कमाई; तथा
- क्या आपके और आपके साथी के कोई बच्चे हैं।

इसके बाद आपका सोलिस्टर आपके अधिकारों के बारे में आपको समझाएगा। वह बताएगा कि किस हालात में आपको या आपके घर में आपके भाग को ख़तरा हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है।

याद रखिए कि आपका सोलिस्टर किसी एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम कर सकता है। वह आप दोनों के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे आप ऐसा चाहते भी हों।

## विचार करने वाली बातें

जिन कानूनी बातों के बारे में आपका सोलिस्टर आपके साथ बात कर सकता है, उनमें से कुछ ये हैं –

**घर की मलकियत**

यदि आप किसी के साथ किसी घर में रहने लगें, परंतु घर केवल उसी के नाम पर हो, तो आम तौर पर घर से मिलने वाले पैसों पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। यह बात लागू होगी, परंतु उस हालत में नहीं यदि आप ये बातें प्रमाणित कर सकें कि –

- घर के लिए रखे डिपाज़िट में या मोर्गेज देने में आपने योगदान दिया है; या
- घर में पैसे ख़र्च करने की ज़िंमेदारी निभाई है (जैसे कि, आपने मरम्मत आदि के किसी बड़े काम का ख़र्च उठाया है) क्योंकि यह माना गया था कि घर में आपका हिस्सा भी होगा।

यदि घर आप दोनों के नाम पर नहीं, और आपका/आपकी साथी आपको वहाँ से जाने के लिए कहे तो हो सकता है कि आपको वहाँ रहने का कोई अधिकार न हो। एक बात और भी है, कि यदि घर आप दोनों के नाम पर नहीं, तो अपने साथी की मृत्यु के बाद आपको घर विरासत में लेने का अधिकार नहीं, यदि उसने यह बात वसीयत में न लिखी हो। यदि उसने वसीयत नहीं की, तो अपको अपने साथी द्वारा छोड़ी सम्पत्ति के लिए अदालत में दावा करना होगा। आप यह काम तभी कर सकते हैं यदि आप दो या अधिक वर्ष इकट्ठे रहे हैं और या आपका साथी आपकी आर्थिक सहायता करता था/करती थी।

हो सकता है कि आपका सोलिस्टर यह सलाह दे कि इस घर की मलकियत किसी एक साथी के नाम के स्थान पर आप दोनों के नाम पर की जाए, या 'साँझे निवासियों' (ज्वाइंट टैनैंट्स) के तौर पर 'साँझीदारी वाले निवासियों' (टैनैंट्स इन कॉमन) के तौर पर। यदि आप अपने या आपनी साथी के साथ साँझे निवासी हों, तो घर बेचने से मिलने वाले पैसों के 50% आप अधिकारी होंगे। और यदि आप में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो घर अपने आप ही दूसरे को मिल जाएगा, चाहे उसकी वसीयत में में कुछ भी लिखा हो।

परंतु यदि आप साँझीदारी वाले निवासी हैं, तो आपको घर का एक भाग रखने का अधिकार होगा, इससे अधिक नहीं। साँझीदारी वाले निवासियों के तौर पर आप फ़ैसला कर सकते हैं कि घर के कौनसे भाग का मालिक कौन होगा, और आप सोलिस्टर से 'डीड ऑफ़ ट्रस्ट' तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद में होने वाले असहमति को रोका जा सकता है। यदि आप में से कोई अपनी मृत्यु के बाद आपने वाला भाग दूसरे के लिए छोड़ना चाहे, तो यह बात वसीयत में लिखी जानी चाहिए।

**मिल कर घर किराए पर लेना**

यदि आप मिल कर घर किराए पर ले रहे हैं, तो किराएदारी का समझौता दोनों के नाम करवाना अच्छी बात है।

**बच्चे**

यदि आपके या आपकी साथी से आपके बच्चे हों, तो आपको सोचना होगा कि बच्चे का पारिवारिक नाम क्या होगा और उसके जन्म को कैसे रजिस्टर करवाया जाए। उसका पारिवारिक नाम चुनने का फ़ैसला आपको करना होता है, और आप बच्चे के जन्म को मिलकर रजिस्टर करवा सकते हैं।

कानून यह है कि यदि आपका और आपके साथी का आपस में विवाह नहीं हुआ, तो बच्चे के बारे में ज़िम्मेदारी अपने आप माँ की बनती है। 1 दसंबर 2003 से, यदि जन्म सर्टीफ़िकेट पर पिता का नाम भी है, तो बच्चे के लिए माता पिता वाली ज़िंमेदारी उस की भी है। नहीं तो, अपने सोलिस्टर की मदद से आप माता पिता वाली ज़िम्मेदारी अपने साथी के साथ मिल कर साँझे तौर पर निभाने का समझौता कर सकते हैं। बाद में यदि आपको और आपके साथी को अलग होना हो तो यह बात महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहते या रही हैं, जिसका किसी और सम्बंध से कोई बच्चा है, तो कानून उसके लिए माता पिता वाली ज़िम्मेदारी आपको नहीं देता। आपका सोलिस्टर इसका अर्थ आपको समझा सकता है।

**बच्चे और अलग होना**

यदि आप और आपका/आपकी साथी अलग हो जाएं, और आप दोनों के साँझे बच्चे हों, तो आप बच्चे की परवरिश के लिए पैसे लेने के लिए चाईल्ड सुपोर्ट एजंसी को अर्ज़ी दे सकते हैं, या बच्चे से संबंधित अन्य कमों में मदद लेने के लिए अदालत को अर्ज़ी दे सकते हैं। इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी अपने सोलिस्टर से बात करें।

**निकट सम्बंधी वाला दर्जा**

यदि आपका साथी बीमार हो जाए या उसकी मत्यु हो जाए, तो डाक्टरी कामों के लिए आपको उसका या उसकी निकट सम्बंधी नहीं माना जा सकता, जब तक आपने या साथी ने पहले से इसके बारे में लिखित समझौता नहीं कर रखा हो। सोलिस्टर यह समझौता तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है।

# अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

**बैंक वाला काम**

यदि आपके और आपके साथी के बैंक अकाऊँट अलग अलग हैं तो उसके अकाऊँट से पैसे आप नहीं ले सकते। उसकी मृत्यु के बाद बैंक में रह गए उसके पैसे उसकी मरणोपरांत सम्पत्ति बन जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि वे अपने आप ही आपको विरासत में नहीं मिलेंगे यदि यह बात उसकी वसीयत में न लिखी हो।

इस समस्या का एक हल है साँझा अकाऊँट खोलना। फिर आपके साथी की मृत्यु होने पर पूरा अकाऊँट तुरंत आपके नाम हो जाएगा।

**टैक्स दर्जा**

आपको या आपके साथी को वे टैक्स बैनीफ़िट नहीं मिलेंगे जो किसी विवाहित जोड़ी या सिविल पार्टनरों को मिलते हैं, ख़ास तौर पर कैपीटल गेन और इनहैरीटैंस टैक्स से सम्बंधित बैनीफ़िट। यदि आप कोई बड़ी सम्पत्ति अपने साथी के नाम करना चाहें, तो हो सकता है कि आपको टैक्स देना पड़े, जो किसी विवाहित जोड़ी को नहीं देना पड़ता।

**पैन्शन स्कीमें**

यदि आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपकी पैन्शन अपने आप ही आपके या आपकी साथी को नहीं मिलने लगेगी। कंपनी पैन्शन और प्राईवेट पैन्शन के नियम भिन्न हैं, और इनके बारे में अपने सोलिस्टर के साथ विचार कर लेना सबसे अच्छी बात है कि आपकी या आपके साथी की पैन्शन किस स्तर की है।

**वसीयत लिखना**

वसीयत में यह लिखना अच्छी बात है कि आपकी सम्पत्ति का कौनसा भाग आपका और कौनसा आपके साथी का है। यदि आप वसीयत नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी सम्पत्ति पर आपके या आपकी साथी का अधिकार अपने आप नहीं बन जाता। इस लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद यह सम्पत्ति आपके या आपकी साथी या उसके बच्चों को मिले तो वसीयत करना अच्छी बात है।

**विवाहित जोड़ी की तरह इकट्ठे रहने का समझौता**

ऐसे समझौतों का उपयोग जोड़ी के पैसों की संभाल तथा अन्य कामों के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनमें पहले लिखा जाता है कि इस संबंध में जोड़ी में हर व्यक्ति दूसरे से क्या आशा रखता या रखती है – सम्बंध रहते समय, और यदि वे अलग हो जाएं, किसी एक की मृत्यु हो जाए, उस समय भी। यह 'सम्मानपूर्ण समझौते' होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी शर्तें अदालत द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकतीं। परंतु इनसे असहमति रोकने में और मन को शांति देने में मदद मिलती है।

इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको और आपके साथी को कनूनी सलाह लेनी पड़ती है।

**असहमति**

दुःख की बात है कि बहुत सी जोड़ियाँ तब तक कानूनी सलाह नहीं लेतीं जब तक सम्बंध टूट नहीं जाता, किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती, या कोई अन्य मुसीबत नहीं आ जाती। तब समस्या को सुलझाना आसान नहीं होता, और ऐसा करना बहुत कम हालतों में संभव होता है। परंतु आपके सोलिस्टर के पास इतनी जानकारी और अनुभव अवश्य होता है कि वह आपके हितों की रक्षा कर सके। चाहे आपके हितों के बारे में पता लगाने का आसान काम हो, या बच्चों की संभाल से संबंधित कोई पेचीदा समस्या हो, कानून के सीमा के अंदर रह कर समस्या को हल करने का सबसे अच्छा ढंग आपका सोलिस्टर ढूँढ लेगा।

## ख़र्च

अलग अलग सोलिस्टरों की फ़ीस भी अलग अलग हो सकती है, जो इन बातों पर निर्भर होगी –

- सोलिस्टर का अनुभव और जानकारी;
- किस प्रकार की सेवा दी जाती है;
- क्या कोई समझौता तैयार करना है।

सोलिस्टर का चुनाव करने से पहले, कुछ स्थानीय फ़र्मों से मालूम कर लेना चाहिए कि वे कितनी फ़ीस लेते हैं। पुरंत केवल फ़ीस को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ऐसा सोलिस्टर ढूँढना भी ज़रूरती है जिस तक पहुँच की जा सके और जिसकी सलाह आपको समझ आ सके।

यदि आपकी आमदन कम है या आपको कोई सरकारी बैनीफ़िट मिलता है, तो हो सकता है कि सोलिस्टर की फ़ीस देने के लिए आपको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। आपका सोलिस्टर आपको बता सकता है कि क्या आपको यह सहायता लेने का अधिकार है।

## अधिक जानकारी

यह पर्चा सोलिस्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली आम कानूनी सेवाओं के बारे में पर्चों की शृंखला में से एक पर्चा है। इस शृंखला के पर्चों की लिस्ट नीचे दी गई है। ये पर्चे आप अपने सोलिस्टर से ले सकते हैं या लॉ सोसाइटी को नम्बर 0870 3333 084 पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं।

- आपका अपना घर ख़रीदने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वसीयत करने के बारे में आपके किए जानकारी
- तलाक लेने के बारे में आपके किए जानकारी
- काम पर आने वाली मुश्किलों के बारे में आपके लिए जानकारी
- कारोबार शुरू करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- निजी चोट का मुआवज़ा माँगने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वृद्ध लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपना घर किराये पर देने के बारे में आपके लिए जानकारी
- घर किराये पर लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- प्रोबेट (वसीयत की सरकारी जाँच पड़ताल) के बारे में आपके लिए जानकारी
- असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

**यह पर्चा आप बड़े अक्षरों या ब्रेल में, सुनने वाली टेप पर, और सी डी पर भी मंगवा सकते हैं। यदि यह पर्चा आपको इनमें से किसी रूप में चाहिए, तो कृपया हमारे साथ इस ईमेल पते पर संपर्क करें – accessibility@lawsociety.org.uk, या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।**

**यह पर्चा आप विभिन्न भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk.**

Lexcel

Look for Lexcel - the mark of excellence



यद्यपि सही जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है, परंतु कानून हमेशा बदलता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का होता है।
यह पर्चा आपके बारे में विशेष सलाह का स्थान नहीं ले सकता, और यदि आप केवल इसी पर्चे पर निर्भर रहेंगे, तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

Designed by dmlmarketing.co.uk Version 2, 2007 Your guide to setting up a home with your partner – Hindi